रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I— खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1970/ज्येष्ठ 15, 1892
No. 100] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

RESOLUTION

New Delhi, the 4th June 1970

No. F. 7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to make the following amendments to the Resolution No. F. 7(25)-E.III(A)/69 dated the 23rd April 1970, setting up the Pay Commission.

2. For the existing sub-para (vii) of para 2, the following shall be substituted, namely:—

(vii) having regard to all relevant factors, the Commission may, while enquiring into the level of minimum remuneration, examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage, which is based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference.

3. For the existing para 4, the following shall be substituted, namely:—

4. In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

P. GOVINDAN NAIR, Secy.

वित्त मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 4 जून, 1970

सं० फा० 7(25)-ई III (ए)/69.—वेतन आयोग की नियुक्ति से सम्बन्धित, 23 अप्रैल 1970 के संकल्प सं० फा० 7(25)-ई III(ए)/69 में भारत सरकार ने निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है ;

2. पैराग्राफ 2 के विद्यमान उप-पैराग्राफ (vii) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

"(vii) न्यूनतम पारिश्रमिक स्तर सम्बन्धी जांच करते समय, सभी संगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए, आयोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन की मांग की जांच कर सकता है, जो 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशों पर आधारित है।

3. विद्यमान पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :—

4. आयोग के विचार विमर्श के दौरान यदि अन्तरिम किस्म की राहत पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की जाय तो आयोग अन्तरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है और उस पर रिपोर्ट भेज सकता है। यदि आयोग किसी अन्तरिम राहत की सिफारिश करे तो वह यह सुझाव भी देगा कि उक्त राहत किस तारीख से दी जाय।

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाय।

पी० गोविन्दन् नायर,
सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD.